न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2019	FSS ACT	14.01.2019	21.2.2024

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री गोपाल सिहं राजपूत पुत्र श्री सुमेरसिहं राजपूत (मौके पर विक्रेता एवं मालिक) जाति राजपूत फर्म–गोपाल भाई डेयरी, माल गोदाम रोड,नृसिहं कॉलोनी गंगापुर सिटी निवासी नर्वदा भवन, मुनीम पाडा गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 21.02.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.07.2018 को लगभग 12:45 पीएम पर फर्म गोपाल भाई डेयरी, माल गोदाम रोड, नृसिहं कॉलोनी गंगापुर सिटी पहुँचा। वहां पर गोपाल सिहं पुत्र सुमेरसिहं जाति राजपूत गंगापुर सिटी उपस्थित था, को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन नही होना जाहिर किया किन्तु डेयरी के नाम से छपा हुआ आई डी कार्ड एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ घी (खुला) जो कि एक स्टील की टंकी में रखा हुआ था, मिलावटी होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0–5 अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (खुला) को स्टील की चम्मच से अच्छी तरह हिला हिलाकर उसमें से 800 ग्राम घी (खुला) वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 820 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ घी (खुला) को अच्छी तरह मिक्स कर चार साफ सूखी कांच की शिशियों में बराबर –बराबर भरकर अच्छी तरह बंद किया तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया। चारों

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

नमूना भागों को अलग–2 ब्राउन पेपर में लपेट कर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–1440 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर चिपकाकर प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर विक्रेता गोपाल सिंह राजपूत ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया गया था। एक नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में श्री गजानंन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है।

दो सील बंद नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/3086 दिनांक 21.08.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या /410/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/440 दिनांक 11.08.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (खुला) सबस्टैण्डर्ड (**sub-standard**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/4372 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (**sub-standard**) खाद्य वस्तु पदार्थ घी (खुला) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघन है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है तथा विक्रेता ने बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लघन किया है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त कि ओर से दिनांक 20.09.2019 को श्री रामदयाल त्रिवेदी एडवोकेट ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण का जबाब पेश करने का समय चाहा।

दिनांक 07.02.2024 को अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने जबाब इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है उसके विरूद्ध यह प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया है अभियुक्त कृषि कार्य एवं पशुपालन कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। अभियुक्त ने दुग्ध उत्पादन हेतु गाय–भैंस पाल रखी है गाय–भैंसो को खिलाने हेतु अभियुक्त ने कुछ घी रख रखा था जो कि विक्रय के लिए नही था बल्कि स्वयं के पुशओं के पोषण के लिये था खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जबरदस्ती सैंपल भर लिया अभियुक्त निर्दोष है प्रकरण इसी आधार पर निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अभियुक्त की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने जबाब अनुसार बहस में कथन किया कि अभियुक्त एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो पशु पालन व कृषि कार्य करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस खाद्य वस्तु पदार्थ घी (खुला) का सैंपल लिया है वह अभियुक्त ने अपने पशुओं को खिलाने के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर (राज.)

लिये रखा था खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जबरदस्ती सैंपल ले लिया अभियुक्त निर्दोष एंव गरीव व्यक्ति है अभियुक्त की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक 410/FSSA/KOTA/Act/2018/440 दिनांक 11.08.2018 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

"Opinion- The sample of Ghee (Loose) bearing Code No. and Sr. No . H-1440 of Desinated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sawaimadhopur is Substandard as Butyro refractometer reading at 40 C. and reichert Value are does not meet to the prescribed Standards And provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011. Sample is Sub Standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & Standards Act 2006.

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थ घी (खुला) का सेम्पल SERIAL NO. H-1440 [**Sub-Standard**] पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा सब–स्टैण्डर्ड [**Sub-Standard**] प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक् अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व धारा 58 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.02.24

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी